10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित विलोपित

275

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2018/2460

1. लक्ष्मीप्रसाद तनय हल्के ब्राम्हण

2. नारायणदास तनय हल्के ब्राम्हण

3. महिलाबिनी बाई पुत्री हल्के ब्राम्हण

निवासी ग्राम भेलसी तहसील बल्देवगढ़ जिला

टीकमगढ़ म.प्र. --- आवेदकगण

Admitted MO

16-4-18

बनाम

1. नाथूराम तनय हल्के ब्राम्हण

2. गनेशा प्रसाद तनय हल्के बाम्हण

निवासी ग्राम भेलसी तहसील बल्देवगढ़ जिला

टीकमगढ़ म.प्र. --- अनावेदकगण

श्री राधासेवक शर्मा द्वारा आज दि. 17-4-18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, 800 नये संशोधन अधिनियम 2011 म.प्र.भू रा.स. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 3.4.18 प्र. क्र. 1256/ अ-6 /16-17 अपील द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त सागर सम्भाग के निर्णय से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

आवेदकगण की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1\. यह कि, ग्राम भेलसी स्थित सर्वे न. 873 लगायत 890 पैकी कुल किता 18 कुल रकवा 2.877 के भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी आवेदकगण के बाबा मातादीन थे। जो निसंतान फौत हुये थे। जिनकी मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रकरण विवादित न होने के कारण तहसीलदार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी 2460–एक/2018 जिला– टीकमगढ़

लक्ष्मीप्रसाद आदि विरूद्ध नाथूराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–01–19	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री कमलेश कुमार नैमा उपस्थित। तर्क सुने गये। दि. 09/01/2019 को 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 1256/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03–04–2018 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खरो की स्थित भूमि खसरा नं. 873 से लगायत 890 कुल किता 18 एवं कुल रकबा 2.877 हैक्टेयर की भूमि के भूमिस्वामी मौजीलाल ब्रा. थे। मौजीलाल ब्रा की दो संतोन मातादीन उर्फ बिठ्ठले एवं बैनीबाई है। अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में मातादीन की ओर से निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 20–01–1994 को नामांतरण करा लिया, जिसकी जानकारी आवेदकगण को होने पर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 27–07–2017 को अपील समय बाह्य होने से निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 03–04–2018	

से अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये एवं भूमि में आवेदकगण व अनावेदकगण के नाम बराबर हिस्से पर दर्ज किये जाने के निर्देश दिये। अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि के रिकॉडेड भूमिस्वामी मौजीलाल ब्राह्मण थे। मौजीलाल के दो संताने मातादीन उर्फ बिठ्ठले और बैनीबाई थी। मातादीन लावल्द फ़ौत हो गये थे। फौत होने के पूर्व रिजस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 20–06–1994 को अनावेदकगण के पक्ष में निष्पादित किया गया था । जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने नामांतरण नियम का पालन किये बिना पंजी पर अनावेदकगण के पक्ष में वसीयतनामा के आधार पर आदेश पारित कर दिया। संहिता की धारा 109–110 में स्पष्ट प्रावधान है कि वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के पूर्व वसीयत को साक्ष्यों से सिद्ध करने एवं संक्षिप्त जांच करने के उपरांत ही नामांतरण किया जाये । परंतु विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर बिना आवेदिका बैनीबाई को सुनवाई का अवसर दिये एवं वसीयत को साक्ष्यों से सिद्ध न करते हुये नामांतरण करने में अवैधानिकता की है।

5/ जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है तो अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदिका बैनीबाई की ओर से जानकारी दिनांक से प्रस्तुत अपील को समय बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है, क्योंकि आवेदिका बैनीबाई को

विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्तिः सूचना नहीं दी थी। इश्तहार प्रकाशन का लेख पंजी पर किया गया है वह भी प्रकरण में संलग्न नहीं है। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि आवेदिका बैनीबाई को नामांतरण की जानकारी थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है? अपर आयुक्त द्वारा विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अपीलीय प्रकरण में प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने में वैधानिक त्रुटि की है, क्योंकि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता संशोधन 2011 की धारा 49 में अपीलीय न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं है।

दि॰ 03/04/18 के आदेश से

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर तहसीलदार बल्देवगढ़ को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने एवं प्रकरण में प्रस्तुत अभिलिखित वसीयत को गवाहों से सिद्ध करने के उपरांत संहिता में बने नामांतरण के नियमों के अनुक्रम पर गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें।

7/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

31.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य

31.01.19